आपराधिक प्रक0क्र0–700607 / 16

संस्थित दिनाँक-03.10.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा

जिला—भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

रानाजीत पुत्र स्व0 शोभाराम चोकोटिया उम्र 64 साल निवासी जगजीवन नगर म0ं नं0 5 ठाटीपुर

मुरार ग्वालियर

.....अभियुक्त

<u>—:: निर्णय ::—</u> {आज दिनांक 03.08.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 20.07.16 को 12:20 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत दिलीपसिंह के पुरा के सामने भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड सार्वजनिक मार्ग पर वाहन एक्टिवा क्रमांक एम0पी0—07 एस0जी0—0988 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

- 2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि फरियादी/आहत द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर अभियुक्त को भादवि० की धारा 337, 338 का उपशमन किया गया। इस निर्णय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 279 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 20.07.16 को फरियादी छुन्नू जाटव अपनी मोटरसाईकिल क0 एम0पी0—30 एम0डी0 3023 से डोडरी गोहद चौराहे से जा रहा था। दिलीपसिंह का पुरा के सामने पहुंचा तभी एक्टिवा क0 एम0पी0—07 एस0जी0 0988 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर बिना संकेत दिए अचानक से रोक दिया जिससे मोटरसाईकिल टकरा गयी, उसे तथा मोटरसाईकिल पर बैठे पुरूषोत्तम धाकड को चौटें आई। उक्त आशय की सूचना से देहाती नालिसी लेख की गयी। मेडीकल परीक्षण कराया गया। तत्पश्चात अप0क0—169/16 पर पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए वाहन जब्त कर जब्ती पत्रक, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिर0 पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

- 4. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध कोई तथ्य न होने से दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।
- 5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —
 1—क्या अभियुक्त ने दिनांक 20.07.16 को 12:20 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत दिलीपसिंह के पुरा के सामने भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड सार्वजनिक मार्ग पर वाहन एक्टिवा कमांक एम0पी0—07 एस0जी0—0988 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। ?

<u>—ः सकारण निष्कर्ष ::—</u>

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में डा० हरेन्द्रसिंह अ०सा० 1, राजकुमार अ०सा० 2, पुरूषोत्तम अ०सा० 3 को परीक्षित कराया गया है जबिक अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

//विचारणीय प्रश्न पर निष्कर्ष//

फरियादी राजकुमार उर्फ छुन्ना अ०सा० २ यह कथन करते हैं कि घटना 8–10 महीने पहले दिन के 12 बजे की है। वे डोंडरी से मोटरसाईकिल से पुरूषोत्तम धाकड के साथ चलाकर ले जा रहे थे। अचानक एक स्कूटर चालक ने स्कूटर रोक दिया जिसमें मोटरसाईकिल टकरा गयी, उन्हे तथा पुरूषोत्तम को चोट आ गयी। साक्षी उसको अस्थिभंग कारित होने का कथन करते हैं और बताते हैं कि पुलिस अस्पताल ले गयी थी और कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराए। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में इस तथ्य का कोई कथन नहीं करते कि अभिकथित स्कूटर कौनसे रंग का था उसे कौन चला रहा था तथा स्कूटर कैसे चल रहा था। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए तो साक्षी ने सूचक प्रश्नों में इस सुझाव से इंकार किया कि स्कूटर क0 एम0पी0-07 एसजी 0988 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर अचानक से रोक दिया जिससे उसकी मोटरसाईकिल टकरा गयी। साक्षी न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को देखकर बताता है कि कथित स्कूटर का चालक अभियुक्त नहीं हैं। आहत पुरूषोत्तम अ०सा० ३ भी इसी प्रकार से कथन करते हुए पक्षविरोधी रहा है। उक्त दोनों ही साक्षियों ने पुलिस कथन प्रपी0 6 व 7 के संबंध में विनिर्दिष्ट भाग की ओर ध्यान आकर्षित कराए जाने पर वैसे भाग के कथन दिए जाने से इंकार किया है। फरियादी राजकुमार उर्फ छुन्ना द्वारा देहाती नालिसी प्र0पी0 4 में बी से बी भाग पर एक्टिवा क0 एम0पी0-07 एस0जी0-0988 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर बिना संकेत के रोक देने के तथ्य लिखाए जाने से इंकार किया है।

संहिता की धारा 279 के अपराध को प्रमाणित किए जाने के लिए वाहन के अभियुक्त द्वारा उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने के संबंध में तर्क पूर्ण साक्ष्य होना आवश्यक है किन्तु प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है। अभियोजन का तर्क है कि प्रकरण में फरियादी व आहत द्वारा राजीनामा कर लिया गया है किन्तु आहतगण द्वारा राजीनामा के कारण असत्य कथन किए जाने के सुझाव से इंकार किया है। जहां तक प्र0पी0 4 की देहाती नालिसी, प्र0पी0 6 व 7 के पुलिस कथन का प्रश्न हैं तो वे सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं उनका उपयोग साक्षी के पूर्वतन कथन के संबंध में विरोधाभास और लोप को दर्शाने हेतु किया जा सकता है। स्वयं दस्तावेज सारवान साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकते हैं। दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 20.07.16 को 12:20 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत दिलीपसिंह के पुरा के सामने भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड सार्वजनिक मार्ग पर वाहन एक्टिवा क्रमांक एम०पी०-07 एस०जी०-0988 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। अतः अभियुक्त को धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

3

- 10. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेगा।
- 11. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अविध बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।
- 12. अभियुक्त की निरोधाविध यदि हो तो उसके संबंध में धारा 428 दप्रसं० का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

सही / -

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही / – ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश